



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 25.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

मिलावटी खोवा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफास

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत 50 कुंटल अपमिश्रित खोये (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) के साथ अन्तर्जनपदीय 13

अभियुक्त गिरफ्तार

01. गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2024 को प्रभारी कोतवाली शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम प्रधान अवधेश कुमार यादव के घर पर नकली खाया व मिठाइयों का निर्माण कर रहे है। जिस पर पुलिस द्वारा कई दिनों से निगरानी रखी गयी थी, निर्माण हो रहे नकली मिठाइयों की जानकारी की सत्यता पर पुलिस टीम गठित करके रेड मारी गई जिसमें 13 अभियुक्तों को ग्राम अइनिया व धर्मनाला से समय करीब 2.30 बजे 50 कुंटल मिलावटी खोया, 16 कामर्शियल व 02 घरेलू सिलण्डर, 6 लोहे की भट्टी व केमिकल युक्त पदार्थ व मुख्य आरोपी हरिओम पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बन्ना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा आदि के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इन लोगों का एक डिस्ट्रीब्यूटर राजकुमार को भी हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 593/24 धारा 274, 275 बीएनएस व 51/25 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. हरिओम पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बन्ना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 24 वर्ष
2. विकास पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बन्ना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष
3. अजय वर्मा पुत्र कंचन सिंह निवासी ग्राम टंकी थाना डौकी जिला आगरा उम्र 19
4. सीताराम पुत्र रज कुमार निवासी ग्राम टंकी थाना डौकी जिला आगरा उम्र 18 वर्ष
5. गजेन्द्र पुत्र सुबेदार निवासी मुवावन्न थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 24 वर्ष
6. जितेन्द्र पुत्र जगदीश नारायण निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 26 वर्ष
7. रामसकल पुत्र पणू लाल निवासी वरना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष
8. बटेसुरी पुत्र राम निवास निवासी खांद का पुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 24 वर्ष
9. विश्राम पुत्र चरन सिंह निवासी वरना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 21 वर्ष
10. नन्द किशोर पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्राम सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष
11. भूपेन्द्र पुत्र पणू निवासी फिरोजाबाद थाना आसाबाद जनपद आगरा उम्र 18 वर्ष
12. रामू पुत्र राम गोपाल निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 18 वर्ष
13. राजकुमार पुत्र लालचन्द्र नि0 डंकनीगंज थाना कटरा जनपद मिर्जापुर उम्र 53 वर्ष

03. वांछित अभियुक्त का विवरण:-

1. अवधेश यादव पुत्र श्रीचन्द्र यादव
2. प्रवेश मौर्या पुत्र अज्ञात निवासी धर्मनाला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. सतीश पुत्र अज्ञात निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा
4. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात

04. बरामदगी का विवरण- डोडा बर्फी 15 क्वंटल, पेड़ा 10 क्वंटल, मिल्क केक 25 क्वंटल, अपमिश्रित खोया 50 क्वंटल, चीनी 12 क्वंटल, सूजी 12 क्वंटल, मूंगफली 20 किग्रा, किशमिश 15 किग्रा0, सोया आयल- 50 टीन, पिस्ता कटा हुआ 01 किग्रा0, काजू 03 किग्रा0, गत्ता पैकेट 1200 पीस, दूध पैकेट 20 बोरी, साइट्रिक एसिड 15 कि0ग्रा0, सेफोलाइड-01 कि0ग्रा0, कामर्शियल सिलेण्डर-16 अदद, घरेलू सिलेण्डर -02, अदद पेण्ट -12 डिब्बे बरामद।

05. पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी हरिओम उपरोक्त ने बताया कि मैं काफी दिनोंसे यह कार्य कर रहा था। मैं आगरा से कारीगर लेकर आया था। ग्राम अइनिया के प्रधान अशोक कुमार यादव का मकान किराए पर लेकर अपमिश्रित खोया व मिठाई तैयार करते थे हम सभी लोग लाभ कमाने के लिए करीब 01 वर्ष से अपमिश्रित मिठाई तैयार करते हैं केमिकल की सप्लाई हम बनारस व आगरा से लेते थे तथा अन्य प्रयोग में आने वाली सामग्री हम स्थानीय दुकानों से खरीदते थे। इसे हम 08-09 लोग मिलकर तैयार करते थे। हम लोग एक दिन में 1.5-2 क्वंटल तक अपमिश्रित मावा से मिठाईयां तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग मिल्क पाऊंडर, सूजी, सस्ता रिफाईंड तेल, कलर के लिए पेंट, सोडियम फार्मैलिडिक हाईड्रेट सल्फाक्सिलेट, साइट्रिक एसिड (जो मानव प्रयोग हेतु नहीं होती है) आदि सामानों को मिलाकर हम नकली खोया तैयार कर मिठाईयां

तैयार कर इन मिठाईयों को आजमगढ़ शहर , कसानगंज , अतरौलिया , बूढ़नपुर, मेहनगर, तहबरपुर, लालगंज, तथा सठियांव मार्केट आदि क्षेत्रों में तथा जनपद मऊ में दोहरीघाट , मधुबन मार्केट में भी सप्लाई करते है तथा हम लोग राजकुमार निवासी शाहगढ़ तथा और भी लोगों को यह मिठाई सप्लाई करते हैं।

06. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 593/24 धारा 274, 275 बीएनएस व 51/25 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 थाना कोतवाली आजमगढ़

07. गिरफ्तारी करने वाली टीम -

(01)- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली श्री शशिमौलि पाण्डेय

(2)निरीक्षक अपराध श्री रफी आलम,

(3)उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दूबे,

(4)उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव,

(5)उ0नि0 रामकृष्ण सिंह,

(6)उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा,

(7)का0 श्यामकुमार गौड़,

(8)का0प्रेमचन्द्र कन्नौजिया,

(9)म0का0 रेशमा सरोज,

(10)का0 आशीष कुमार यादव,

(11)हे0का0 सुशील सिंह,

(12)का0 अखिलेश यादव,

(13)हे0का0 संतोष तिवारी,

(14)का0 अभिषेक सरोज,

(15)हे0का0 हरेन्द्र यादव,

(16)का0 अखिलेश गौतम ,

व खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी , रजनीश कुमार, लालमणि यादव, अमरनाथ, थाना कोतवाली आजमगढ़

